राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

प.8(ग)(3)नियम / डीएलबी / 10 /267 जयपुर, दिनांक-04/01/17

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(3)नियम / डीएलबी / 10 / 9356 दिनांक 24.08.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नानुसार कर उदगृहीत करने का निर्देश देती है:–

1. उक्त अधिसूचना दिनांक 24.08.2016 के बिन्दु संख्या 8 के खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"बजट होटल व 1, 2 व 3 स्टार होटलो पर निर्मित क्षेत्रफल पर औद्योगिक दर से कर उदगृहित किया जावेगा तथा रिक्त भूमि पर औद्योगिक दर का 50 प्रतिशत कर उदगृहित किया जावेगा।

परन्तु 4 व 5 स्टार होटलो पर निर्मित क्षेत्र पर व्यावसायिक दर से कर उदगृहित किया जावेगा तथा रिक्त भूमि पर उक्त दर का 50 प्रतिशत कर उदगृहित किया जावेगा।

परन्तु यह और कि 4 व 5 स्टार होटलो द्वारा यदि औद्योगिक दर से कर चालू वित्तीय वर्ष (2016–17) में जमा करवाया गया है तो उनसे औद्योगिक दर एवं व्यावसायिक दर की अन्तर राशि वसूल की जावेगी।"

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 24.08.2016 के बिन्दु संख्या (ix) (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"ऐसी सम्पत्तियां जिनका स्वामित्व एकल महिला के नाम पर हो या संयुक्त नाम पर हो उन्हे नगरीय विकास कर में 10 प्रतिशत की विशेष छूट पूरे वर्ष दी जावेगी। यह छूट अवधि पूर्व (30 सितम्बर तक) जमा कराये जाने वाली कर राशि की (10 प्रतिशत) छूट से अतिरिक्त होगी।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

D:\QAYAM\5.Adhisuchna.doc\shahzad\Document

प. 8(ग)(3)नियम / डीएलबी / 10 / 268-734 जयपुर दिनांक- 04/01/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर
02. निजी सचिव,माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
04. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान
05. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजस्थान
06. आयुक्त / उपायुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें समस्त राजसथान।
07. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
09. समस्त अधिकारी निदेशालय एवं उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान
10. सीएमएआर निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु
11. जन सम्पर्क अधिकारी निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार हेतु
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\QAYAM\5.Adhisuchna.docsh.huzad/Document